

कॉल साइन और एमएमएसआई नंबर के आवेदन के लिए चेकलिस्ट।

(यदि अनुपालन किया गया हो तो 'टिक' लगाएं। यदि नहीं तो 'X' लगाएं। यदि लागू नहीं है तो स्पष्ट करें)

नहीं	आवश्यकताएं	हां/नहीं/ नहीं	टिप्पणी
1	आवेदन जहाज के मालिकों द्वारा किया जाना है। मालिक को अपने आवेदन में कॉल साइन और एमएमएसआई नंबर प्राप्त करने का		
2	रजिस्ट्री प्रमाणपत्र की प्रति.		
3	जहां जहाज पंजीकृत है, उस पंजीकरण प्राधिकारी से कॉल साइन और एमएमएसआई नंबर के आवंटन के लिए एनओसी।		
4	भारत- कोष भुगतान रसीद इस प्रकार है।		
	कॉल साइन के लिए रु. 500/- एवं एमएमएसआई नंबर के लिए रु. 5000/-		

कृपया ध्यान दें कि दस्तावेजों को सॉफ्ट कॉपी में एकल पीडीएफ फाइल में ईमेल आईडी regn.mum-mmd@gov.in और ajubhagat.mmd@gov.in पर जमा करना आवश्यक है।

नोट: - चेकलिस्ट के अनुसार संलग्न/संलग्न किसी भी दस्तावेज़ की फोटोकॉपी केवल कंपनी के अधिकृत व्यक्ति द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगी होनी चाहिए। बिना पूर्वोक्त सत्यापन और मुहर के कोई भी दस्तावेज़ इस कार्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।